

न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(सँची)

आदेश पत्रक

वाद सं० M-06/2021

धारा-107 द०प्र०सं०

पत्नी देवी

प्रथम पक्ष

बनाम

बाली देवी वग०

द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं०  
एवं तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही  
एवं दिवसीय तारीख

अभिलेख संख्या-एग०-06/2021 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी [नाम] के अप्राथमिकी सं०-01/2021 दिनांक-11/01/21 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि

गाली गल्लोप करने के कारण उभय पक्ष में तनाव है।

जिससे रंगावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुभ होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुभ हो जाएगी।

अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची) सक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000 (पचास हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 19/2/2021 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

[हस्ताक्षर]  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू(सँची)

[हस्ताक्षर]  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू(सँची)

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्य तारीख
----------------------------	---------------------------------	-------------

26-07-21 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अधिकार हाजरी दिनांक 02-08-2021 को रखी।

16/8

02-08-21 उभय पक्ष अधिकार हाजरी। कार्यपत्र उभय पक्ष के अस्त। दिनांक 16-08-2021 को रखी।

16-08-21 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष - अधिकार हाजरी की गई। दिनांक 06-09-2021 को रखी।

16/8  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बुन्दू

06.09.2021 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिकार हाजरी। द्वितीय पक्ष उपस्थापित। वाफ में वैधानिक स्वतंत्र सीमा दंड प्राप्त हुई हो चुका है अर्थात् कालवाचित हो गया है। अतः अभिलेख की कार्रवाई की गई है।

16/9/21  
कार्यपालक दण्डाधिकारी